FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) जायल मुकाम ....

प्रहलादराय बनाम पोकरराम आदि

किस्म मुकदमा 111,128 RLR act नं. 109/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.2020	प्रार्थी/~~वादी/अपीलांट~~ के वकील श्री नरपतसिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद/अपील~~ धारा 111,128 राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी/रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06.07.2020 को पेश हो। [signature] 15.6.2020 सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
06/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ~~विप्रार्थीगणों~~ विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया [illegible] व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत [illegible] आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों [illegible] [signature] 6.7.20	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested

खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़े व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढ़ो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी का अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर व सम्बन्धित भू० अभि० निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

6.7.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/671 दिनांक:– 6/7/2020

राजस्व आवेदन संख्या –109/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री प्रहलादराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी–धोलानाडा, बोडवा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री पोकरराम पुत्र उमाराम वगैरा 07, जाति जाट निवासी – धोलानाडा, बोडवा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाडा हल्का बोड़वा तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 152/93 रकबा 6.9089 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/472-76 दिनांक:– 6/7/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रहलादराम पुत्र मोतीराम ।
4. विप्रार्थीगण श्री पोकरराम पुत्र उमाराम वगैरा 07।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 12:36:04 IST
Reason: SelfAttested